न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 48/2021 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति
अनवान मुकदमा :–
रामकुमार पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुभाष पुत्र हरफुलसिंह जाति जाट साकिन न्योलखी 7 केकेएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णा पुत्री हरफुलसिंह जाति जाट साकिन न्योलखी 7 केकेएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. शकुन्तला पुत्री हरफुलसिंह जाति जाट साकिन न्योलखी 7 केकेएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. अंजना पुत्री हरफुलसिंह जाति जाट साकिन न्योलखी 7 केकेएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. अनुराधा पुत्री हरफुलसिंह जाति जाट साकिन न्योलखी 7 केकेएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–असल गैरसायल

6. रणजीत पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. सुभाष पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. रिछपाल पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सरस्वती पुत्री रामकिशन जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. मन्जु पुत्री रामकिशन जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. बादो पत्नी रामकिशन जाति मेघवाल निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री कृष्णकुमार वकील –प्रार्थी
श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार अप्रार्थी सं. 12

निर्णय दिनांक:– 10/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थीया ने दिनांक 13.09.2021 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि आराजी जरई चक 8 के.के.एम. के प.नं. 219/32 के किला नं. 6, 7, 13 ता 17 की 1.771 है., 18/2 की 0.063 है. व प.नं. 219/40 के किला नं. 9, 10, 11, 12 की 1.012 है. कुल 2.846 है. तहसील रावतसर की सायल व गैरसायल नं. 2 व मौके रामकिशन के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। रामकिशन फौत हो चुका है जिसके जायज वारसान गैरसायल नं. 7 ता 11 है। आराजी जरई चक 8 के. के. एम. के प.नं. 219/32 के किला नं. 4/2 की 0.228 है. 5/2 की 0.228 है. व प.नं. 219/40 के किला नं. 1 ता 3 की 0.759 है. कुल – 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

215 है. तहसील रावतसर की गैरसायल नं. 1 व मृतक सरबती व मृतक हरफुलसिंह के नाम की भूमि है तथा मृतक सरबती व हरफुलसिंह के जायज वारिसान गैरसायल नं. 1 ता 5 है। सायल व गैरसायल नं. 6 ता 11 के उक्त खेत में आने जाने के लिए कोई भी मंजुरशुदा रास्ता नही लगता है इसलिए सायल व गैरसायल नं. 6 ता 11 सभी गैरसायल नं. 1 ता 5 के खेत चक 8 के. के.एम. के प.नं. 219/40 के किला नं. 1 की 0.013 है. पश्चिमी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता से आवागमन कर रहे है तथा वर्तमान मे भी उक्त रास्ता चालू है तथा यही सायल व गैरसायल नं. 6ता 11 के लिए सुविधाजनक रास्ता है तथा सायल व गैरसायल नं. 6 ता 11 सभी गैरसायल नं. 1 ता 5 को उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि या रूपये देने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता मंजुरशुदा नही है इसलिए गैरसायल नं. 1 ता 5 उक्त रास्ता को बंद करने की धमकी दे रहे है जिससे सायल व गैरसायल नं. 6 ता 11 को नुकसान होता है जिससे सायल व गैरसायल नं. 6ता 11 उक्त रास्ता को मंजुर करवाने के अधिकारी है। सायल ने गैरसायल नं. 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा कि वे उक्त रास्ता को मंजुर करवा दे तथा रास्ता की भूमि के बदले भूमि या रूपये प्राप्त कर लें तथा उक्त रास्ता को बंद करने की योजना त्याग दे लेकिन वे कुछ दिन तो लेतोलात करते रहें बिल आखिर दिनांक 09.09.2021 को इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 6 ता 11 आज हाजिर अदालत नहीं आ सके इसलिये उन्हे तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी 8 केकेएम बहक रणजीत वगैरह, नकल जमाबन्दी 8 केकेएम बहक सुभाष वगैरह पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने दिनांक 25.06.2024 को जरिये वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा उपस्थित आकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में लिखा कि "प्रार्थना पत्र कि मद स0 1 ब वजह गलत ब्यानी होने से स्वीकार नही है तथा सायल ने मद संख्या में गैर सायल स0 2 की भुमि बता रखी है जो की गलत रुप से दर्शा रखी है इससे पता चलता है कि सायल को अपनी भुमि के साथ कौन सहखातेदार है ईल्म नही है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 2 ब वजह गलत ब्यानी होने से स्वीकार नही है प्रार्थना पत्र कि मद स0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 4 ब वजह गलत ब्यानी होने से स्वीकार नही हैतथा मौका पर कोई किसी भी प्रकार से रास्ता चालु नही है सायल ने अपनी मनमर्जी से चालु रास्ता केकथन दर्ज किये है इस[illegible] का प्रार्थना पत्र ना काबिल चलने के होने के कारण खारीज किया जाने योग्य है [illegible] अतिरिक्त कथन में दर्ज है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 5 ब वजह गलत ब्यानी होने से स्वीकार नही हैतथा सायल किसी भी प्रकार से हम गैर सायल के नाम की भुमि मे रास्ता मंजुर करवाने का अधिकारी नही है तथा सायल गांव न्योलखी का निवासी है तथा सायल अपने नाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

भुमि के दक्षिणी की तरफ किला नम्बर 219/40 के किला नम्बर 20 के दक्षिणी पश्चिमी कोणा में व किला नम्बर 21/2 की पश्मिची सिंव पर रास्ता मंजुर करवा सकता है तथा यही रास्ता सरकारी मंजुरशुदा रास्ता से जुडता है तथा गांव न्योलखी के नजदीक पडता है इसलिये उक्त किलानबरान की भुमि मेंही सायल के लिये नजदीक व सुविधाजनक लगता है लेकिन सायल ने हम गैर सायलान को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कोई कानुनी बल नही है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र ना काबिल चलने के होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है खुलासा अतिरिक्त कथन में दर्ज है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 6लाइल्मी हैतथा सायल कभी भी हम गैर सायल से मिला ही नही है जब मिला ही नही तो इन्कार किये जाने का कथन स्वतः ही झुठा साबित हो जाता है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 7 कानुनी है। प्रार्थना पत्र कि मद स0 8 ब वजह गलत ब्यानी होने से स्वीकार नही हैव सायल द्वारा चाहे गये अनुतोष इन्कारी है।

अतिरिक्त कथन :— जिस प्रकार से सायल हम गैर सायल के नाम की भुमि चक 8 के0के0एम0 के प0 न0 219/40 के किला न0 1 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा पर उतर से दक्षिणी लम्बा रास्ता मंजुर करवा रहा है अगर यहां पर रास्ता स्वीकृत होता है तो हम गैर सायल नाम की भुमि के दो टुकडे होते है जिनसे हम गैर सायल को हर प्रकार से कृषि कार्य बिजाईआदि करने में बडी भारी परेशानीयो का सामना पडेगा इसलिये किसी भी सुरत में सायल की मांग न्यायोचित नही कही जा सकती है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र स्वयय खारीज किये जाने योग्य है। सायल गांव न्योलखी का निवासी है तथा वह जिस प्रकार से हमारे नाम की भुमि में रास्ता चहा जा रहा है वह भुमि गांव न्योलखी से अधिक दुरी पर स्थित है जबकी सायल गांव से चलकर सरकारी रास्ता/सड़क से होकर प0 न0 218/240 के किला नम्बर 21/2 में स्थित सरकारी मजुरशुदा रास्ता पर पहुच कर किला नम्बर 21/2 के पश्चिमी सिंव से व किला नम्बर 20 के दक्षिणी पश्मिची कोणा से होकर अपनी भुमि में आसानी से व सुविधाजनक रुप से तथा नजदीकी रुप से पहुंच सकता है लेकिन सायल ने इन किलानम्बरान की भुमि से रास्ता की मांग न करके हम गैर सायल की भुमि से मांग की है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही है तथा गलत व विधिविरुद्ध है जो की नजरी नक्शा से साफ जाहिर हो रहा है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र स्वयय खारीज किये जाने यौग्य है नजरी नक्शा व सरकारी रास्ता की जमाबंदी साथ पेश है। हम गैर सायल के नाम की भुमि में कोई किसी भी प्रकार [illegible] के लिये आज तक रास्ता चालु नही रहा है व ना अब है सायल ने प्रार्थना पत्र [illegible] देने की नियत से प्रार्थना पत्र में चालु रास्ता होने का झुठा कथन किया है [illegible] मौका स्थिती देखने से पुरी स्थिती स्पष्ट हो जायेगी इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारी[illegible] किये जाने योग्य है। कानुनन रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब किसी को रास्ता की आत्यांतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

आवश्यकता हो व वैकल्पिक रास्ता का आभाव हो तथा सुविधाजनक नही हो लेकिन सायल के प्रार्थना पत्र में इन तिनो बिन्दुऔ का आभाव है तथा सायल की भुमि केनजदीक व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। हम गैर सायल के नाम भी कम ही भुमि दर्ज है अगर हमारी भुमि से रास्ता स्वीकृत होता है तो हमारी भुमि और कम हो जायेगी तथा भुमि के दो टुकडे हो जायेगे इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। सायल के प्रार्थना पत्र में कोई किस भी प्रकार का कानुनी बल नही है तथा सायल ने प्रार्थना पत्र तंग व परेशान करनी की नियत से व रंजिशवंश प्रस्तुत किया है इसलिये भी सायल का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। सायल कभी भी चाहे गऐ रास्ता पर आवागमन नही करते है क्योकि वहां पर रास्ता का कोई अस्तित्व ही नही है बल्कि मौका पर हम गैरसायल कि फसल काश्त कि हुई है इसलिये रास्ता बन्द करने का तथा बाधा व अवरोध पैदा करने का कथन स्वत ही झुठा साबीत हो जाता है तथा सायल अन्य स्त्रोतो से भी अपनी भुमि में आवाजाही कर सकता है इसलिये हम गैर सायल कि भुमि में से किसी भी प्रकार का रास्ता मंजुर करवाने के सायल अधिकारी नही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र सायल द्वारा बैटर प्रतिकुलर रिजन के अभाव में प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वयय खारीज फरमाया जावे।'' अपने जबाब के साथ वकील अप्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं. 1, नजरी नक्शा 8 केकेएम पेश किये।

तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 397 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की। मुताबिक रिपोर्ट '' वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में अस्थाई रूप से 219/32 कि.नं. 25 के धापादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार में बने कच्ची आड के उतर से जाकर आगे कटानी रास्ता से गुजरते है। प्रार्थी के खेत के निकटतक कटानी रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा दोनों कटानी रास्तों में से 1 बीघा दूर है दोनों कटानी रास्तो की दूरी बराबर है। मुताबिक नजरी नक्शा दोनों रास्तों से अपने खेत में आने से प्रार्थी को आसानी होगी। रास्ता दिया जाना आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पक्षकार आपस में प्रतिकर या जमीन के बदले जमीन पर रजामन्द नहीं है।''

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:17:50 IST
Reason: SelfAttested

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के नाम की भूमि चक 8 केकेएम के प.नं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

219/40 के किला नं. 1 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा पर उतर से दक्षिणी लम्बा रास्ता मंजुर करवा रहा है अगर यहां पर रास्ता स्वीकृत होता है तो हम गैर सायल नाम की भूमि के दो टुकडे होते है जिनसे हम गैर सायल को हर प्रकार से कृषि कार्य बिजाई आदि करने में बडी भारी परेशानीयो का सामना पडेगा। प्रार्थी गांव न्योलखी का निवासी है तथा वह जिस प्रकार से हमारे नाम की भूमि में रास्ता चाहा जा रहा है वह भूमि गांव न्योलखी से अधिक दुरी पर स्थित है जबकी सायल गांव से चलकर सरकारी रास्ता/सड़क से होकर प.नं. 219/240 के किला नम्बर 21/2 में स्थित सरकारी मजुरशुदा रास्ता पर पहुच कर किला नम्बर 21/2 के पश्चिमी सिंव से व किला नम्बर 20 के दक्षिणी पश्चिमी कोणा से होकर अपनी भुमि में आसानी से व सुविधाजनक रुप से तथा नजदीकी रुप से पहुंच सकता है लेकिन प्रार्थी ने इन किला नम्बरान की भूमि से रास्ता की मांग न करके हम अप्रार्थीगण की भुमि से मांग की है जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही है तथा गलत व विधिविरुद्ध है जो की नजरी नक्शा से साफ जाहिर हो रहा है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किये जाने योग्य है।"

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड उपलब्ध रिकॉर्ड व अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के जबाब तथा तहसीलदार राजस्व रावतसर की रिपोर्ट आदि से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता स्वीकृत किये जाने से अप्रार्थीगण का खेत दो भागों में विभाजित होता है तथा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट "प्रार्थी अपने खेत में अस्थाई रूप से 219/32 कि.नं. 25 के धापादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार में बने कच्ची आड के उतर से जाकर आगे कटानी रास्ता से गुजरते है।" तथा उक्त रास्ता गांव न्यौलखी से नजदीक भी पड़ता है जो प्रार्थी के लिये सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी उक्त किला नम्बर 25 मे से रास्ता स्वीकृत करवा सकता है लेकिन प्रार्थी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद भी धापादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने हेतु कोई कार्यवाही नही की है जबकि प्रार्थी जहां रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है अगर वहां से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण के खेत के दो टुकड़े हो जायेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 10-7-2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.26 20:17:50 IST
Reason: SelfAttested